पत्रांक-21/आयोग-विविध-03/2022 सा॰प्र॰ 7783 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी आरक्षी अधीक्षक,

पटना—15, दिनांक 23-5-22

विषयः— **सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों/सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने, उन पर हमला करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक-11572 दिनांक 07.12.2020 द्वारा सूचना का अधिकार से संबंधित निर्गत दिशा निर्देश में धमकी पाने वाले अथवा हमले के शिकार सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं/आवेदकों की सुरक्षा एवं इसके लिए जाँच संधारित करने के संबंध में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक को अविलंब आवश्यक कार्रवाई किये जाने तथा सूचना का अधिकार आवेदक पर हमले की स्थिति में आवेदक के निकट संबंधी, सिविल सोसाइटी संस्थाओं द्वारा दायर की गयी शिकायतों पर भी विचार करते हुए तत्काल कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि आरटीआई कार्यकर्त्ता को बेवजह परेशान करने और उनके विरूद्ध झूठी सनहा या एफआईआर दर्ज करने/कराने, थाने द्वारा एससी, एसटी एक्ट, महिला प्रताड़ना एक्ट आदि जैसे झूठी मुकदमा दर्ज करने या कराने का सलाह देना एवं षड़यंत्र रचकर जेल भेजने, हत्या करने या करवाने, मारपीट करने या करवाने और बेवजह परेशान करने या करवाने तथा कर्मचारियों द्वारा आरटीआई लगाने पर बेवजह आरोप पत्र सहित दंडादेश देने और भ्रष्ट अधिकारी का साथ देकर उच्च अधिकारी द्वारा परेशान करने के संबंध में/थाना सहित पुलिस अधीक्षक द्वारा परेशान करने के संबंध में/थाना प्रभारी/पुलिस प्रशासन द्वारा आरटीआई कार्यकर्ताओं के विरूद्ध एफआईआर करने पर न्यायिक जाँच करने के संबंध में/संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को आरटीआई कार्यकर्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपने के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाय तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,
23.5.22
(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

General
Letter
676